

विषय:

विषय:-

प्रकरण क्रमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन विरुद्ध श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस. एल.पी. प्रस्तुत करने बावत्।

पंजी क0 3616 दि0 16.09.2015

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

2/ प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म0प्र0 भोपाल से प्राप्त दिनांक 14.09.2015 द्वारा कार्यपालन यंत्री, खंड उज्जैन के प्रस्तावानुसार प्रकरण की संक्षेपिका, पारित निर्णय की प्रति एवं शासकीय अधिवक्ता के मत की प्रति संलग्न कर प्रकरण क्रमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन विरुद्ध श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति प्रदान करने तथा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड उज्जैन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का निवेदन किया गया है।

P-128/c

3/ प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता द्वारा एस.एल.पी. दायर करने की आवश्यकता नहीं है, का अभिमत दिया गया है। किन्तु इसी प्रकार के एक अन्य प्रकरण चांदी प्रसाद उनियाल व अन्य विरुद्ध उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के प्रकरण एस.एल.पी. (सिविल) क. 5899/2012 द्वारा पारित आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2012 में त्रुटिपूर्ण वेतनमान निर्धारण से अधिक भुगतान की वसूली याचिकाकर्ता के वेतन से बारह एक समान किस्तों में वसूल करने आदेशित किया गया है।

P-119/c

4/ प्रकरण कार्यभारित हैण्डपंप तकनीशियनों को नियुक्ति दिनांक से त्रुटिवश नियमित स्थापना के हैण्डपंप तकनीशियन को देय वेतनमान प्रदान किया गया था जिसकी वसूली खंड कार्यालय द्वारा की जा रही थी, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर में रिट याचिका प्रस्तुत कर वसूली नहीं करने का निवेदन किया गया है।

5/ अतः उपरोक्त कंडिका 3 के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख अभियंता द्वारा प्रकरण क्रमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन विरुद्ध श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति प्रदान करने तथा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड उज्जैन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त जाने हेतु प्रकरण आदेशार्थ प्रस्तुत है।

"A"
P-128/c

21/9/15

अनु0अधि0

कृपया उपर्युक्त सीप तथा Encl स प्रकाश

प्रकाश का अवलोकन करना चाहेंगे तबतक

"A" प्रकाश करेंगे।

22.9.15

उपरोक्तानुसार 'A' प्रकाश डू अनुमोदकाधी

24/9/15

PTO

मंत्री
डॉ. स्वा. मं.

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

विषय:-

प्रकरण क्रमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन विरुद्ध
श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय
दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च
न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत करने बावत्।

का वि.

पूर्व पृष्ठ से:-

इसका सर्व पृष्ठ पर प्रस्तुत दीप तथा
शाखा के प्रस्ताव का अवलोकन करना
चाहेंगे तथा 'A' को अनुमोदित करना
चाहेंगे।

2673/05/PMH
24/9/15

1105/2015
26/9/2015
यू.ओ. के
दिनांक

PS
मान. मंत्रीजी

कुमुद सिंह
लोकता. मं.

PS
यय
SS

अश्विनी
(डॉ. अश्विनी कुमार राय)
उप सचिव पी.एच.डी.
3
24/9/15

अश्विनी कुमार राय
प्रमुख सचिव, लो. स्वा. यां. वि.

कुमुद सिंह
(कुमुद सिंह मालवीय)
मन्त्री
पशुपालन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण,
मछली कल्याण तथा मत्स्य विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग,
विधि और विधायी कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (म.प्र.)
3
3/10/15

अश्विनी
02/10/15
3/10/15

03.10.15

Smr. Basir
03.10.15

नस्ती अवक क्र. 631
मं.प. उ.खा.प्र.प.क. वि. वि. वि. लो. स्वा. यां. 2015
अवक दिनांक 26-09-15
जावक दिनांक 01-10-15

संजी

लो. स्वा. याँ. वि.
सना का विभाग

छब्बीस-२ सचिवालय

विषयः विषयः—

प्रकरण क्रमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन
विरुद्ध श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में पारित
निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च
न्यायालय में एस.एल.पी.प्रस्तुत करने बावत।

पूर्व पृष्ठ से:-

पूर्व पृष्ठ पर विधि विभाग द्वारा जारी अनुमति के अनुक्रम में प्रकरण के प्रभारी अधिकारी निर्देशित किये जाने प्रारूप मय स्वच्छ प्रति के अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

~~अनुअधि~~

Born

உ. அ. முனோமர்சி

17-11-15

85
12/11/18

QuesThj 18/11/15

18/11/15

18.11.15

Shri. Baid-
18-11-15

एवञ्चि हृत्नांश्चैवायं उद्भूतम्

19/11/15

3/3/1917.

19.11.15

19/11/18

19/11
NH
19.11.25

D
10.11.15
Shri Bai's

3392.98

जावक क्रमांक _____
दिनांक 19-11-15

6

एफ 16-89/2015/1/34

मंत्री

हो. स्वा. याँ. वि.
का निमित्त

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

विषय:-

प्रकरण कमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शारान
विरुद्ध श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में पारित
निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च
न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत करने बावत्।

पूर्व पृष्ठ से:-

पंजी क0 4847 दिनांक 22.12.2015

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

2/ विधि विभाग के पत्र दिनांक 15.12.2015 के साथ
विषयांकित प्रकरण में श्री अर्जुन गर्ग, स्थायी अधिवक्ता, मा. उच्चतम
न्यायालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.12.2015 की प्रति आवश्यक
कार्यवाही हेतु विभाग को प्रेषित की गई है।

3/ तत्संबंध में स्थायी अधिवक्ता, मा. उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.12.2015 में उल्लेखित बिन्दुओं का
परीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रमुख
अभियंता को भेजी जाना उचित होगा।

तदनुसार मान्य होने पर पत्र का प्रारूप/स्व0प्रति
अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

अनुमोदित

ज (म leave)

29.12.15

29/12/15

3022/PS/PHF
31/12/15

Principal Secretary (IPM)
No. 1039 Date 31/12/2015

प्रमुख सचिव

31/12/15

31/12/15

कृपया पत्र मिलावे

आस्था

31/12/15

31/12/15

आस्था

01/01/16

01.01.16

01.01.16

छब्बीस-२ सप्ताह

विषय:-

प्रकरण क्रमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन विरुद्ध श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत करने बावत्।

पूर्व पृष्ठ से:-

श्री अर्जुन गर्ग

अनु. अर्जुन

Bair
11/14

05.01.16

5/1/16

पंजी क्र0 653 दि0 12.02.2016

कृपया विचाराधीन पत्र को अवलोकन करें

2/ प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म0प्र0 भोपाल से प्राप्त दिनांक 11.02.2016 द्वारा श्री अर्जुन गर्ग, स्थाई अधिवक्ता के अभिमत की प्रति संलग्न कर लेख किया गया है कि प्रकरण क्रमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन विरुद्ध श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति विधि विभाग के पत्र दिनांक 10.11.2015 प्रदान की गई थी। प्रभारी अधिकारी कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड उज्जैन के पत्र दिनांक 15.01.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रकरण में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

3/ श्री अर्जुन गर्ग, स्थाई अधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.12.2015 द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 385/2010 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2014 के विरुद्ध एस.एल.पी. दायर करने का मत दिया गया है।

4/ प्रमुख अभियंता द्वारा स्थाई अधिवक्ता के अभिमतानुसार रिट अपील क्रमांक 385/2010 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2014 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति विधि विभाग से प्राप्त कर उपलब्ध कराने एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड उज्जैन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

D
06.01.16

Shri Bair

P-148/c

P-128/c

P-137/c

P-143/c

P-151/c

P-154/c

P-154/c

हजारी-२ सचिवालय

विषय:-

प्रकरण क्रमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन विरुद्ध
श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक
24.04.2015 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.
एल.पी.प्रस्तुत करने बावत्।

पूर्व पृष्ठ से:-

अतः प्रकरण में स्थाई अधिवक्ता, माननीय
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के अभिमतानुसार प्रमुख अभियंता
द्वारा प्रस्तावित रिट पिटीशन क्रमांक 385/2010 में पारित निर्णय
दिनांक 15.01.2014 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई
दिल्ली के समक्ष एस.एल.पी.दायर करने की अनुमति प्रदान करने
तथा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड उज्जैन को
प्रभारी अधिकारी नियुक्त जाने हेतु प्रकरण आदेशार्थ प्रस्तुत है।
अनु0अधि0 (अव-पर)

~~अवतरित~~

पूर्व पृष्ठ पर कार्यपालन रीप की
इंस्ट्रि-1 से प का 2. केओएम काग पॉहजे
का सुकन मे 'A' प्रस्ताव के केओएमार्थ।

~~DS~~प्रमुख सचिव

मान. मंत्रीजी

26/2/16
27/2/16

Dr

Dr

o

'A'
P. 154/c

Bm
15/2/16
10
15/2/16

Sl
16/2/16

Dr

(डॉ. अमिताभ सिंह)
उप सचिव, पी.एस.ई.

अश्विनी कुमार राय
प्रमुख सचिव, लो. स्वा. यां. वि.

कुसुम सिंह
(कुसुम सिंह मालवीय)

पशुपालन, उद्यानिकी तथा जल प्रसंस्करण,
मत्स्य आ कल्याण तथा मत्स्य विपणन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग,
शिक्षा और विधायी कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (म.प्र.)

26/2/16

Dr

26/2/16

27.2.15 26/2

Sumi Baur
27.2.16

विषय :

लो. स्था. यौ. वि.
को विभाग

विषय:-

प्रकरण कमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन विरुद्ध श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत करने बावत्।

पूर्व पृष्ठ से:-

पूर्व पृष्ठ पर प्रकरण में मा.मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन का प्राप्त कर लिया गया है। प्रकरण में प्रथमतः कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड उज्जैन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा।

तदनुसार मान्य होने पर प्रभारी अधिकारी के आदेश का प्रारूप/स्व.प्रति अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

अनुमोदित

Bm
3/3/16

VS

34/03/16 पर प्राप्त अनुमोदनार्थ

11.03.16

DS

18/3/16

4/10

D. S. Th

18/03/16

18/3

21.03.16

D
21.03.16
Shri Bais

आगत कमांक 851-52
दिनांक 21-3-16

8403

पूर्व पृष्ठ पर प्रकरण में प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड उज्जैन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

2/ अतः रिट पिटीशन कमांक 385/2010 म.प्र.शासन एवं अन्य विरुद्ध श्री विक्रम सिंह मालवीय में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2014 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष एस.एल.पी. दायर किये जाने की अनुमति जारी किये जाने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

अनुमोदित

VS

विधि विभाग

21.03.16

18/3/16

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

397/2016
24/3/16

Bm
21/3/16

का.प्र.शा.
24-3-16

○

छब्बीस-२ सचिवालय

एफ 16-89/2015/1/34

विषय :

विषय:-

प्रकरण क्रमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन
विरुद्ध श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में पारित
निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध माननीय
सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी.प्रस्तुत करने बावत्।

पूर्व पृष्ठ से:-

मंत्रालय

लो. स्वा. यौ. वि.

की विभाग